रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 1989/कार्तिक 5, 1911
No. 709] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 1989/KARTIKA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1989

का.आ. 870(अ) :—केन्द्रीय सरकार, लोक परिसर (अनधिकृत आवासियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन निर्माण एवं आवास तथा सप्लाई मंत्रालय

की अधिसूचना सं. का.आ. 707, दिनांक 22 मार्च, 1961 के अधिक्रमण में जहां तक उक्त अधिसूचना की तालिका की क्र.सं. 7 पर निर्धारित अधिकारी से संबंध रखती है, संदर्भ में किए गए कार्यों को छोड़कर अथवा इस अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर एतद्द्वारा श्री ए.के. शर्मा महा प्रबन्धक (ईस्ट) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के बराबर के अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी दिल्ली परिवहन निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लोक परिसर के संबंध में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सम्पदा अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करेगा।

[सं. टी.जी.डी. (18)/84]

बी.आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 1989

S.O. 876(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Works and Housing and Supply No. S.O. 706, dated the 22nd March, 1961, So far as it relates to the officer specified at S. No. 7 of the Table to the said notification, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints Shri A. K. Sharma, General Manager (East) Delhi Transport Corporation, New Delhi, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Government, to be the Estate Officer for the purpose of the said Act and the said Officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act in respect of the public premises under the administrative control of the Delhi Transport Corporation.

[No. TGD (18) |84]

B. R. CHAVAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1989